

## बिना नगर निगम कार्यालय आये घर बैठे जन्म-मृत्यु पंजीयन कराने एवं पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की ऑनलाइन व्यवस्था

- नगर निगम, आगरा में दिनांक 01.09.2012 से जन्म-मृत्यु पंजीयन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है यह सुविधा नगर निगम, आगरा की वेबसाइट [www.nagarnigamagra.com](http://www.nagarnigamagra.com) पर उपलब्ध है।
- इस व्यवस्था के अन्तर्गत नगर के 212 अस्पताल जन्म-मृत्यु हेतु पंजीकरण कर उनको Login/Password दिया गया है।
- शहर के विभिन्न मोहल्लों में 39 साइबर कैफे को जन सुविधा केन्द्र नामित कर Login/Password देकर इस कार्य हेतु अधिकत किया गया है।
- इस व्यवस्था के अन्तर्गत जो भी जन्म-मृत्यु अस्पताल में हो रहे हैं उनका ऑनलाइन आवेदन अस्पताल द्वारा किया जायेगा ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त ओके का बटन दबाया जायेगा जिसके बाद नगर निगम में इस कार्य हेतु अधिकत अधिकारी के स्वतः हस्ताक्षर होकर प्रमाण पत्र तैयार हो जायेगा। प्रमाण पत्र को प्रिन्ट कर जन्म होने की द॥ में जन्म देने वाली माँ को अस्पताल के बिलों के साथ Discharge के समय दिया जाता है तथा मृत्यु होने की द॥ में मृतक के परिवार को प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कर प्रिन्ट कर दिया जाता है।
- जो जन्म-मृत्यु घरों में हो रहे हैं उसके लिए जन-सामान्य को यह सुविधा दी गयी है कि वह कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट की सुविधा होने पर सीधे नगर निगम की वेबसाइट [www.nagarnigamagra.com](http://www.nagarnigamagra.com) पर आवेदन कर सकता है और जॉचोपरान्त प्रमाण पत्र बनने के बाद आवेदक के मोबाइल पर एसएमएस जाता है जिससे वह घर बैठे प्रमाण पत्र प्रिन्ट कर सकता है।
- यदि आवेदक के पास उक्त सुविधा नहीं है तो पास के साइबर कैफे जो जन सुविधा केन्द्र हेतु नगर निगम में पंजीकृत हैं वहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है ऑनलाइन जॉचोपरान्त प्रमाण पत्र बनने के बाद आवेदक के पास मैसेज भेजा जाता है। इस हेतु रू0 15 साइबर कैफे का जुल्क तथा रू0 10 नगर निगम का जुल्क कुल रू0 25 आवेदक द्वारा साइबर कैफे संचालक का दिया जायेगा।
- उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत किसी द॥ में नगर निगम में आवेदक को आना नहीं है तथा सीधे ऑनलाइन आवेदन कर ऑनलाइन ही प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है।
- उक्त के अतिरिक्त 2002 से अब तक जितने भी जन्म-मृत्यु अस्पताल में हुए हैं उन सबका विवरण नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है

जिससे कोई भी व्यक्ति जन्म तिथि पता होने पर सर्च कर अपना प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। उसके लिए आवेदक को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी आवेदन की आवश्यकता है।

- इस व्यवस्था से नगर निगम विभाग में जन-सामान्य की दौड़-भाग कम हुई है जिससे जनता का अनावश्यक व्यय तो बचता ही है। शहर में ट्रैफिक पर भी नियंत्रण होता है। नगर निगम की इस पहल से शहर से भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था कायम हुई है तथा नगर निगम में जनता का विश्वास बढ़ा है।
- यदि जन्म के समय नाम नहीं लिखा है तब नामकरण होने के बाद नाम भी प्रमाण पत्र में ऑनलाइन आवेदन करके दर्ज कराने की व्यवस्था।

[URL](#)

[More Details](#)

[Cyber Cafe List](#)